अध्याय–15
वित्तीय आवश्यकता और राज्य शासन से अंतरण

15.1 आयोग का अनुमान है कि वर्ष 2012–13 से 20 वर्षों की अवधि के दौरान अधोसंरचनाओं की स्थापना तथा परिचालन व अनुरक्षण के लिये प्रचलित भाव दर पर लगभग रु. 54,555 करोड़ की आवश्यकता होगी **(परिशिष्ट 15.1)**। इसी प्रकार अधिनिर्णय अवधि अर्थात् 2012 से 2017 के दौरान रु. 5777 करोड़ की आवश्यकता होगी जिसका वर्षवार विवरण **तालिका संख्या 15.1** में दिया गया है।

तालिका संख्या 15.1

अधिनिर्णय अवधि के दौरान निवेश हेतु आवश्यकता

(करोड़ रुपया में)

क्रमांक	वर्ष	निवेश हेतु आवश्यकता		
		पूंजीगत	परिचालन/अनुरक्षण	कुल योग
1	2012–13	560.84	334.80	895.64
2	2013–14	644.96	364.26	1009.22
3	2014–15	741.71	396.32	1138.02
4	2015–16	852.96	431.19	1284.16
5	2016–17	980.91	469.14	1450.04
	कुल योग	**3781.37**	**1995.71**	**5777.08**

15.2 पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय और परिचालन व अनुरक्षण लागत मे 11% की वार्षिक औसत वृद्धि परिलक्षित हुई थी। इस हिसाब से अधिनिर्णय अवधि के पांच वर्षों के दौरान नगरीय निकायों की प्रक्षेपित आवश्यकता लगभग रु. 5777 करोड़ की होगी, जबकि इस अवधि में प्रक्षेपित प्राप्ति लगभग रु. 3723 करोड़ अनुमानित है। इस तरह लगभग रु. 2053 करोड़ की कमी रहेगी, जिसका विवरण **तालिका संख्या 15.2** में दिया गया है। इस आयोग ने इस अवधि में स्वच्छता के लिये रु. 200 करोड़ तथा क्षमता संवर्धन के लिये रु. 50 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की अनुशंसा की है। इस प्रकार रु. 250

करोड़ की राशि को जोड़ कर गणना करने से मालूम होता है कि उक्त अवधि में कुल मिला कर रु. 2303 करोड़ की कमी होगी।

तालिका संख्या 15.2

अधिनिर्णय अवधि में निवेश

(करोड़ रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	निवेश की उपलब्धता			अतिरिक्त कोष की आवश्यकता	कुल योग
		पूंजीगत	परिचालन एवं अनुरक्षण	कुल		
1	2012–13	501.23	96.66	597.89	297.74	895.64
2	2013–14	556.37	107.30	663.66	345.56	1009.22
3	2014–15	617.57	119.10	736.67	401.36	1138.02
4	2015–16	685.50	132.20	817.70	466.46	1284.16
5	2016–17	760.50	146.74	907.65	542.40	1450.04
	योग	**3121.57**	**602.00**	**3723.57**	**2053.51**	**5777.08**

नगरीय निकायों के स्वयं के स्त्रोतों और राज्य सरकार के अनुदानों का प्रक्षेपण

15.3 पूंजीगत व परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिये प्रक्षेपित उपलब्ध संसाधनों और इस हेतु कम पड़ने वाली राशि का अनुमान, इस अवधि के दौरान राज्य सरकार के सम्भावित आबंटनों तथा नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सम्भावित राजस्व अर्जन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जैसा कि **तालिका संख्या 15.3** से ज्ञात होता है वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 की पांचवर्षीय अधिनिर्णय अवधि के दौरान नगरीय निकायों का स्वयं का संसाधन लगभग रु. 2113 करोड का होगा, जबकि इसी अवधि में राज्य सरकार से अनुदानों के रूप में रु. 2852 करोड़ मिलने की उम्मीद है। इस तरह कुल प्राप्ति रु. 4965 करोड़ की होगी। नगरीय निकायों के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इसमें से लगभग 75 % राशि पूंजीगत और परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय के लिये उपलब्ध होगी। 75 % की राशि लगभग रु. 3724 करोड़ की होगी

(तालिका संख्या 15.3)। इस तरह 5777 करोड़ रूपयों की कुल आवश्यकता के विरूद्ध रु. 2303 करोड़ की कमी बनी रहेगी। इसमें सुवच्छता और क्षमता संवर्धन के लिये रु. 250 करोड़ का विशेष आबंटन शामिल है।

तालिका संख्या 15.3

स्वयं के स्त्रोतों और शासन के अनुदानों से राजस्व आय का प्रक्षेपण

(करोड़ रूपयों में)

राजस्व आय	वृद्धि दर	2012–13	2013–14	2014–15	2015--16	2016–17	कुल योग	75प्रतिशत पूजीगत और परिचालन व अनुरक्षण
स्वयं के स्त्रोत	15.06	313.46	360.48	414.55	476.73	548.24	2113.45	1585.08
शासन से हस्तांतरण	5.41	512.14	539.79	568.94	599.66	632.05	2852.58	2139.43
कुल योग		***825.59***	***900.26***	***983.48***	***1076.39***	***1180.28***	***4966.03***	***3724.51***

नगरीय निकायों से अतिरिक्त संसाधन

15.4 अधोसरचना आदि पर व्यय के लिये अनुमानित रु. 2303 करोड़ की उक्त कमी को नगरीय निकायों को अपने कर तथा कर भिन्न संसाधनों के दोहन और राज्य सरकार के अन्तरण से पूरा करना होगा। आयोग का अनुमान है कि नगरीय निकाय **पिछले अध्याय में बताये गये सुधारों (अध्याय 14 कंडिका 81 और 82) से रु. 648 करोड़ का अतिरिक्त दोहन कर लेंगे।** इसका विवरण अधोलिखित **तालिका संख्या 15.4** में दिया गया है। इसके बाद भी लगभग रु. 1605 करोड़ की कमी बनी रहेगी जिसे अतिरिक्त राजकीय अंतरण से पूरा किया जाना चाहिए।

तालिका संख्या 15.4

2013–14 से 2016–17 की अवधि में नगरीय निकायों से अतिरिक्त राजस्व संसाधन

क्रमांक	कर स्रोत	राशि (करोड़ रू. में)
1	सम्पत्ति कर	268
2	व्यवसाय कर	200
3	विज्ञापन कर	100
4	अन्य	80
	कुल योग	**648**

राज्य शासन से अंतरण

15.5 आयोग ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8% भाग ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को आबंटित किये जाने की अनुशंसा की है। आयोग की अधिनिर्णय अवधि के पांच वर्षो में यह विभाजनीय कोष अनुमानतः रु. 5793.50 करोड़ का होगा। जनसंख्या के आधार पर इस 8% में नगरीय स्थानीय निकायों का भाग 1.85% अर्थात रु. 1339.75 करोड़ का होगा। यह राशि अधिनिर्णय अवधि के सभी पांच वर्षों के लिये है। इस तरह पांच वर्षों की उक्त अवधि में निवेश के लिये कुल आवश्यक राशि में (रु. 1650 करोड़ – रु. 1340 करोड़) रु. 310 करोड़ की कमी रहेगी। इस कमी को किस तरह पूरा किया जाये, इस सम्बन्ध में हम कोई विशेष अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि राज्य सरकार के अतिरिक्त अनुदानों और नगरीय निकायों द्वारा बेहतर संसाधन दोहन से इस कमी को पूरा किया जा सकेगा। जैसा कि हम पूर्व में भी कह आये हैं **इस आयोग द्वारा दिया गया अन्तरण पूंजीगत व्यय तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सड़कों तथा क्षमता संवर्धन आदि क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये है। आयोग का सुझाव है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग क्षेत्रवार विस्तृत योजनायें बनाये। ये विस्तृत योजनायें इन पांच वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय निकायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जायें तथा इनमें क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को शामिल किया जाये और इसके लिये वार्षिक आबंटन भी दिखाया जाये। निवेश आवश्यकताओं तथा इस आयोग के 'अवार्ड' के अन्तर्गत हस्तांतरण सहित समग्र राजस्व संसाधन प्राप्ति का समेकित विवरण तालिका संख्या 15.5 में दिया गया है।**

तालिका संख्या 15.5

निवेश गत आवश्यकताएँ एवं राजस्व संसाधनों की प्राप्ति

(करोड़ रु. में)

निवेश आवश्यकताएँ		संसाधन प्राप्ति		
पूंजीगत	3781.37	नगरीय निकायों के पास उपलब्ध संसाधन	–	3724.51
परिचालन एवं अनुरक्षण	1995.71	सुधारों से राजस्व संसाधनों की प्राप्ति	648	
स्वच्छता	200.00	वित्त आयोग से हस्तांतरण	1340	
क्षमता संवर्द्धन	50.00	अंतर	314.57	
		उपयोग		**2302.57**
योग	**6027.08**	**महायोग**	–	**6027.08**

हमारा प्रस्ताव है कि स्वच्छता के लिये आवश्यक धनराशि (रू. 200 करोड़) तथा क्षमता संवर्धन तथा नगरीय विकास संस्थान की स्थापना के लिये आवश्यक कोष रु. 50 राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में दिये जायें। इससे अपूरित कमी घटकर लगभग रु. 64 करोड़ की रह जायेगी, इस कमी को पूरा करने के लिये कोई उपाय नहीं बताया गया है।

◆◆◆